मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अंके/स्था./2015-16/२०७१ भोपाल, दिनांक 17.11.2015

प्रति,

उप/संयुक्त संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, [समस्त]

विषयः- **मण्डी समितियों के स्थानीय निधि सम्परीक्षा के पालन प्रतिवेदन भेजने विषयक।**

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डी अधिनियम, 1972 के नियम 38 अंतर्गत मण्डी, मण्डी के लेखों का अंकेक्षण स्थानीय निधि सम्परीक्षा द्वारा किए जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किए जाते है। उक्त प्रतिवेदन की आडिट कंडिकाओं के निराकरण की समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में अत्यधिक संख्या में मण्डी समितियों की कंडिकाओं का निराकरण होना शेष है। वर्तमान में आंचलिक कार्यालयों में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि इस संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

01. **मण्डी समिति स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही।**

(अ.) स्थानीय निधि सम्परीक्षा से अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मण्डी समिति सर्वप्रथम रिपोर्ट को अपने अंकेक्षण रजिस्टर में अंकित करे तथा अंकेक्षण रिपोर्ट की एक छायाप्रति कराकर उसको अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखे।

(ब.) आडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए पुनरावलोकन एवं वर्तमान की अंकेक्षण कंडिकाओं का परीक्षण कर निम्नानुसार प्रारूप में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

वर्ष	कंडिका क्रमांक	कंडिका का संक्षिप्त का विवरण	मण्डी समिति का उत्तर	आंचलिक उप/ संयुक्त संचालक का मत	उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की टीप
01	02	03	04	05	06

(स.) मण्डी समितियां उपरोक्त प्रतिवेदन का गम्भीरता के साथ पूर्ण परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी जिससे अधिकतम आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। यदि किसी कंडिका में वसूली अपेक्षित है तो वसूल की गई राशि का चालान क्रमांक एवं दिनांक तथा उसकी छायाप्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न होगी। यह उत्तर कतई मान्य नहीं होगा कि आक्षेप अनुसार कार्यवाही की गई है।

(द.) उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात् मण्डी समिति की बैठक में उक्त प्रतिवेदन को रखा जाएगा तथा उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(इ.) मण्डी समिति के अनुमोदन के पश्चात् पालन प्रतिवेदन को इस निवेदन के साथ कि प्रतिवेदन पर अपेक्षित अभिमत अंकित करते हुए उप संचालक को भेजा जावे, संयुक्त संचालक को पत्र के साथ 04 प्रतियों में सम्प्रेषित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन सीधे उप संचालक स्थानीय निधि को न भेजते हुए आंचलिक कार्यालय, के संयुक्त संचालक के माध्यम से ही सम्प्रेषित किया जावे।

02. आंचलिक कार्यालय स्तर पर किए जाने वाली कार्यवाही :-

(अ) मण्डी समितियों से प्राप्त होने वाले पालन प्रतिवेदन पर आंचलिक कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षण कर उपरोक्त पालन प्रतिवेदन के कॉलम क्रमांक 05 में अधोलिखित निर्देशानुसार अभिमत दिया जाएगा।

(ब) अभिमत में जिन कंडिकाओं पर मण्डी समितियों के उत्तर पर सहमति है उसमें ''मण्डी समिति के उत्तर से सहमत कंडिका विलोपन योग्य है।'' लेख किया जाएगा।

(स) जिन कंडिकाओं पर मण्डी समितियों के उत्तर पर असहमति है उसमें यह टीप कि ''मण्डी समिति के उत्तर से असहमत तथा इस संबंध में मण्डी समिति को .....निर्देश दिए गए,'' लेख किया जाएगा।

(द) उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन पर सहमति/असहमति का अभिमत देते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन उप संचालक, स्थानीय निधि सम्परीक्षा को सम्प्रेषित किया जाए तथा एक प्रति अपने स्तर पर रखते हुए एक प्रति वरिष्ठालय तथा एक प्रति मण्डी समिति को वापस भेजी जाए।

उपरोक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/अंके/स्था./2015-16/२०९२-९३ भोपाल, दिनांक 17.11.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. अपर संचालक (वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, [समस्त] ....जिला.... [समस्त]

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल